

दिनांक:—16.09.2019

पत्रावली पेश में ली गयी। वकील वादी उप.। प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थी अपना प्रार्थना-पत्र चलाना नहीं चाहते हैं अपने हस्ताक्षर किये हैं। अतः प्रार्थी अपने स्वयं के निवेदन पर जरिये Withdrawl खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

